"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352] रायपुर, रविवार, दिनांक 29 नवम्बर 2009—अग्रहायण 8, शक 1931

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2009

आदेश

क्रमांक एफ-1/रानिआ/न.पा./रिट.आफि.नियुक्ति/09/2101.—(1) छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 12 (3) के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर की नगरपालिका के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) अर्थात् जिला कलेक्टर, पदेन रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) है.

(2) जिला मुख्यालय पर की नगरपालिका को छोड़कर प्रत्येक जिले की शेष नगरपालिकाओं के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 13 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लिखित प्रकार की नगरपालिका के लिए कालम (3) में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) नियुक्त करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को प्राधिकृत करता है.

(3) राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 14 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में, उल्लिखित प्रकार की नगरपालिकाओं के लिए सारणी के कालम (4) में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी/किन्हीं भी अधिकारी/अधिकारियों को कालम (3) में उल्लिखित रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) की सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग

आफिसर (नगरपालिका) के रूप में नियुक्त करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को प्राधिकृत करता है :—

सारणी

क्रमांक (1)	नगरपालिका का प्रकार (2)	रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) का पदनाम (3)	सहायक रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के पद पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के पदनाम (4)
1.	(I) जिला मुख्यालय के नगरपालिक निगम	कलेक्टर (पदेन)	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आयुक्त, नगरपालिक निगम/तहसीलदार.
	(II) जिला मुख्यालय के बाहर के नगरपालिक निगम (सामान्य निर्वाचन)	अपर कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/आयुक्त, नगरपालिक निगम/तहसीलदार/अपर तहसीलदार.
	(III) जिला मुख्यालय के बाहर के नगरपालिक निगम (वार्ड के उप चुनाव के मामले में)	संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार/अपर तहसीलदार.	डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुख्य नगरपालिका अधिकारी/तहसीलदार.
2.	(I) जिला मुख्यालय के नगरपालिका परिषद्	कलेक्टर (पदेन)	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुख्य नगरपालिका अधिकारी/तहसीलदार.
	(II) जिला मुख्यालय के बाहर की नगरपालिका परिषद् (सामान्य निर्वाचन)	अपर कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/संयुक्त कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
	(III) जिला मुख्यालय के बाहर के नगरपालिका परिषद् (वार्ड के उप चुनाव के मामले में)	तहसीलदार/अपर तहसीलदार	अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/मुख्य नगर-पालिका अधिकारी.
3.	(I) जिला मुख्यालय की नगर पंचायत	कलेक्टर (पदेन)	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी / मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
	(II) राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय वाली नगर पंचायत (सामान्य निर्वाचन)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	तहसीलदार / अपर तहसीलदार / अधीक्षक, भू-अभिलेख/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
	(III) राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय के बाहर की नगर पंचायत (सामान्य निर्वाचन)	सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार / अपर तहसीलदार/अधीक्षक, भू-अभिलेख/नायब तहसीलदार.	तहसीलदार / अपर तहसीलदार / अधीक्षक, भू-अभिलेख/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

(1)	(2)	(3)	(4)
	(IV) राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय के बाहर की नगर पंचायत (वार्ड के उप चुनाव के मामले में)	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/अधीक्षक भू-अभिलेख.	अपर तहसीलदार/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/ नायब तहसीलदार.

आयोग के आदेश क्रमांक एफ 75/न.पा./रिट.अधि./04 दिनांक 10 जून, 2004 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

डी. डी. सिंह,
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.